संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

ऑनलाइन फ्रॉड के संबंद्ध में भी जनजागरण का कार्य करना चाहिए : दीपक सिंह

धमतरी। दीपावली के पावन पर्व पर जना स्मॉल फिनांस बैंक धमतरी द्वारा सीनियर सिटीजन एवं प्रेऑरिटी कस्टमर के साथ दीवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।कार्यक्रम के आयोजन कर्ता बैंक के प्रबंधक श्रीमती पिंकी सोनी जी एवं नीलिमा जी, सिमरन जी एवं बैंक के सारे स्टाफ थे।कार्यक्रम में सभी ग्राहकों को बैंक के लेन देन सम्बन्धी एवं सुविधाओं सम्बंधित सभी जानकारी दी गई साथ ही साथ ब्याज दरों के लाभ और नए नए बीमा के विषय में भी जानकारी दी गई, बैंकिंग सेक्टर में होने वाली समस्याओं और उनके निराकरण हेतु भी मार्ग बताए गए ।कार्यक्रम में अनेक अतिथि जो बैंकिंग क्षेत्र, समाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था ,जिसमे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड प्रबन्धक श्री सेन जी एवं समाजिक क्षेत्र से समाजसेवी श्री दीपक सिंह ठाकुर जी को और मीडिया जगत से श्री देवेन्द्र मिश्रा जी भी उपस्थित थे ।श्री दीपक सिंह ठाकुर जी ने कहा कि बैंक को ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथआयकर सम्बन्धी जानकारी भी देनी चाहिए और आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड आदि के विषय में भी जनजागरण का कार्य करना चाहिए।बैंक द्वारा सभी ग्राहकों को गेम्स भी खिलाए गए और साथ ही साथ दीपावली के अवसर पर स्वल्पाहार का भी आयोजन किया गया एवं सभी को सम्मान के साथ उपहार देकर विदाई दी गई।

जर्जर स्कूलों का होगा मरम्मत

दुर्ग। दुर्ग शहर अंतर्गत जर्जर हो चुके शासकीय स्कूलों का मरम्मत किया जायेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा में जर्जर भवन बाधा न बने इसे देखते हुए विधायक गजेंद्र यादव ने शासन से 4 स्कूलों के भवन मरम्मत कराने 50₹ लाख की स्वीकृति कराये है। कार्य पूर्ण हो जाने पर पढ़ाई के अच्छी जगह मिल पायेगी। भिन्न आयोजनों में स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों ने विधायक गजेंद्र यादव ने स्कूल परिसर में जर्जर हो चुके भवनो पर ध्यान आकृष्ट कराये थे। इसके कारण बच्चों की बैठक व्यवस्था प्रभावित होने की जानकारी स्कूल प्रबंधन द्वारा दिए थे। शिक्षकों ने बताया की दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय स्कूलों के भवनो के दिवार एवं छत अत्यंत जर्जर हो चुके है तथा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है जिसे देखते हुए इन भवनो के दीवारों एवं छतो के मरम्मत अति आवश्यक है। विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए इसे लेकर विधायक गजेंद्र यादव ने तत्काल प्रस्ताव तैयार कराये और शासन भवन मरम्मत कार्य के लिए राशि स्वीकृति प्रदान कराये है। मरमत कार्य हो जाने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई की लिए पर्याप्त कक्ष मिल सकेगा।

धनेंद्र साहू दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए

नवापारा-राजिम। आज धनेंद्र साहू पूर्व मंत्री ने ग्राम में पटेवा बच्चू पाल के दशगात्र कार्यक्रम जिनके साथ में पढ़े थे मानिकचौरी में हरीश साहू के माता तथा सोनेसिली में गोविंद साहू के माता के दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल हुए साथ में चंद्रहास साहू उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर, गिरधारी साहू अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी नवापारा ग्रामीण,भूपेंद्र साहू जनपद सदस्य,अजय साहू सरपंच,ताराचंद साहू उपसरपंच, रोमन तारक,धन्नू पाल श्यामू साहू उपस्थित थे

नशे के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी, 245.105 किलो ग्राम गांजा जब्त

भारी मात्रा में गांजे का अवैध परिवहन करने वाले दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

स्वदेश संवाददाता, कांकेर

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप, कबीरधाम जिले में अवैध मादक पदार्थों एवं नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज दीपक झा (IPS) के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं शपंकज पटेल के नेतृत्व में, थाना कुकदुर प्रभारी निरीक्षक श्री व्यानारायण चुरेन्द्र द्वारा चलाए गए सघन अभियान के तहत अवैध गांजा परिवहन करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कुल 245.105 किलोग्राम गांजा जप्त हुआ है जिसकी बाजार कीमत करीबन 61,27,625/- रूपये है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, मादक पदार्थों एवं नशे के कारोबार पर सख्त कदम उठाने के तहत जिले भर में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक श्री व्यासनारायण चुरेन्द्र द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी कि दिनांक 24.10.24 को थाना कुकदुर पुलिस को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई की वाहन क. वाहन टाटा 1109 वाहन क. एच.आर. 55 ए.ए. 1148 में शकर कंद की बोरीयों के नीचे काफी मात्रा में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते हुये पंडरिया से बजाग मुख्य मार्ग से जा रहे है की सूचना पर से हमराह स्टाफ के थाना कुकदुर के सामने मेन रोड़ पर समक्ष गवाहो को साथ लेकर नाकाबंदी कर उपरोक्त वाहन को रूकवा कर विधिवत कार्यवाही किया जा रहा है। आरोपीगण से पुछताछ में आरोपी वाहन चालक बबलू सिंह पिता त्रिभुवन सिंह चौहान उम्र 35 साल साकिन वार्ड नम्बर 39 भगवानपुर पोस्ट. कंधईपुर थाना बाबूगंज जिला सुल्तानपुर उ.प्र. एवं शिवकुमार पिता मनबोधन लोधी उम्र 28 साल साकिन व थाना सरेनी तहलालगंज जिला रायबरेली उ.प्र. जो कि बताये की ईलाहाबाद से टमाटर लोड कर सिमली गुढ़ा उडिसा लेकर गये और बिक्री किये एवं बजार मंडी से शकर कंद की खरीदी बाद सिमली गुढ़ा उडिसा से बिचौलिया के द्वारा से संपर्क होने पर से एवं अवैध धन लाभ अर्जित करने के नियत से अवैध रूप से 08 नग जुट की बोरीयों में मादक पदार्थ गांजा खरीदी कर सिमली गुढ़ा उडिसा से परिवहन करते हुये फैजाबाद उ.प्र. ले जा रहे थे।

कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी बैग जनजाति के साथ जमीन पर बैठ कर किया समस्याओं का समाधान

ग्राम पंचायत कांदावनी के आश्रित गांव पटपरी दीपावली से पहले होंगे घर रौशन

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा

जिले के पंडरिया विकासखण्ड के सुदूर वनांचल क्षेत्र विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और आदिवासी बाहुल ग्राम कांदावानी के आश्रित ग्राम पटपर पहुंच कर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने ग्रामीणों से साथ जमीन पर बैठकर जन चौपाल लगाई। कलेक्टर ने ग्राम पटपरी के बैगा जनजाति और आदिवासी सहित सभी किसानों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं, मांगों से रूबरू हुए। इस दौरान कलेक्टर ने वहां मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की सुविधा न होने से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने कहा कि दिवाली के पहले सभी घर लाईट से रौशन होगा। दिवाली से पहले सभी घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए क्रेडा विभाग की सहायता से सोलर पैनल लगाकर हर घर विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, सभी परिवारों को निः शुल्क में एक पंखा और पांच एलईडी लाईट भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यदि सोलर पैनल या अन्य उपकरण खराब होते हैं, तो विभाग द्वारा उन्हें निःशुल्क में ठीक किया जाएगा।

कलेक्टर वर्मा ने संवाद करते हुए बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति के समग्र विकास और मुलभूत सुविधाओं के साथ उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ किया गया है। पीएम

जनमन योजना के तहत 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम में 11 अलग-अलग बुनियादी एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा गावों में पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़के, नल से जल, समुदाय आधरित पेयजल, मोबाईल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, बहु-उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण गिड तथा सोलर पावर माध्यम से, वनधन केन्द्रों की स्थपना, इंटरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, अजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास कार्यों को शामिल किया गया है। कलेक्टर ग्राम जनचौपाल में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर आर बी देवांगन क्रेडा अधिकारी, सहित तहसीलदार, जनपद सीईओ, महिला एवं बाल विकास विभाग की सीडीपीओ, बीएमओ और अन्य अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

ग्राम जन चौपाल में बताया गया कि ग्राम पटपरी में कुल परिवारों की संख्या 25 और कुल जनसंख्या लगभग 150 है। सभी परिवारों को जनमन योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिल गई है। आवास बनना प्रारंभ हो गया है और दूसरा किस्त भी आ गया है। वर्तमान में 4 आवास अप्रारंभ है। कलेक्टर ने अप्रारंभ आवास को जल्दी प्रारंभ करने के निर्देश दिए। यहां बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कर लिया गया है और घर तक पाईप लाइन पहुंच गई है। कलेक्टर ने जल्द ही पानी का सप्लाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी की आवश्यकता की जानकारी दी। कलेक्टर ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैगा आदिवासियों के साथ किया भोजन

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा

कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत कांदावानी के आश्रित ग्राम पटपरी में बैगा आदिवासी समुदाय और प्रशासन के बीच आत्मीय संबंध की मिसाल देखने को मिला। जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बीच पहुंचकर एक आदिवासी परिवार श्री नंद लाल बैगा के घर उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। इस अनोखे अवसर पर कलेक्टर ने श्री नंदलाल बैगा के घर में पहुंचकर न केवल उनके साथ भोजन का आनंद लिया, बल्कि उनके जीवन और सांस्कृतिक धरोहर से भी रुबरू हुए। कलेक्टर ने बैगा समुदाय के सांस्कृतिक जीवन और उनकी परंपराओं को करीब से देखा। यह पहल प्रशासन और आदिवासी समुदाय के बीच आपसी विश्वास और संबंध को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर आर बी देवांगन ने बैगा परिवार के साथ बैठकर भोजन किया।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बैगा आदिवासियों के साथ भोजन करते हुए कहा कि आपके साथ बैठकर भोजन करना मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन आपके विकास और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शासन की मंशा है कि आप सभी शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी जीवनशैली में सुधार करें। उन्होंने यह भी कहा कि आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को नजदीक से समझ रहे हैं और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे है। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और प्रशासन क्षेत्र विकास के लिए पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। इस दौरान कलेक्टर ने आदिवासी संस्कृति और खानपान की प्रशंसा करते हुए, उनके आत्मनिर्भर जीवन को सराहा और भविष्य में प्रशासन की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

कलेक्टर ने कहा इसका उद्देश्य पिछड़े और विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लोगों के साथ सामाजिक एकता और जुड़ाव बढ़ाना है। प्रशासन और आदिवासी समुदाय के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने के साथ ही आदिवासी समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि बैगा समुदाय छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण और विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आदिवासी समुदाय की स्थिति समझने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। कलेक्टर वर्मा की यह पहल सरकार की योजनाओं और नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करेगी, जिससे बैगा आदिवासी समुदाय का विकास और सशक्तिकरण संभव होगा।

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, संसाधनों और सुविधाओं का विवरण

मुख्यमंत्री ने 'दिव्यांगता: चुनौतियों से अवसर तक' का किया विमोचन

स्वदेश संवाददाता, अभनपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दिव्यांगता पर आधारित पुस्तक 'दिव्यांगताः चुनौतियों से अवसर तक' का विमोचन किया। इस महत्वपूर्ण कृति को सुश्री के. शारदा, प्रीति शांडिल्य और डॉ. अभिनव मिश्रा ने सह-लेखक के रूप में तैयार किया है।

यह पुस्तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, संसाधनों और सुविधाओं का व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, यह दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं और अधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से यह पुस्तक शिक्षकों और दिव्यांगजनों के परिवारजनों को प्रशिक्षण देने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने पर भी केंद्रित है। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के दिव्यांगजनों की 15 प्रेरणादायक कहानियों को भी शामिल किया गया है, जो उनकी अदम्य इच्छाशक्ति,

चुनौतियों पर विजय और असाधारण धैर्य की मिसाल पेश करती हैं।

उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक के लेखकगण सुश्री के. शारदा एवं श्रीमती प्रीति शांडिल्य शासकीय विद्यालयों में शिक्षिकाएं हैं, जबकि डॉ. अभिनव मिश्रा एक पत्रकार हैं। दुर्ग जिले की सुश्री के. शारदा, जो स्वयं भी दिव्यांग हैं, को हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024' से सम्मानित किया गया है। धमतरी जिले की शासकीय विद्यालय की शिक्षिका प्रीति शांडिल्य को 'राज्यपाल पुरस्कार 2024' के लिए चयनित गया है। वहीं, डॉ. अभिनव मिश्रा को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंग्रेज़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के लिए सराहा जा चुका है।

पुस्तक विमोचन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया छत्तीसगढ़ के शांतनु सिन्हा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने लेखकों द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय को उजागर करने की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक न केवल दिव्यांग समुदाय बल्कि समूचे समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह पुस्तक समाज में दिव्यांगजनों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत' विषय पर कार्यक्रम

बालोद। जिले के गुरूर विकासखण्ड के शासकीय मदनलाल साहू महाविद्यालय अरमरीकला में शनिवार 26 अक्टूबर को दोपहर 02 बजे से जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत एवं उनके ऐसिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोण्डवाना समाज के अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ के संभागीय अध्यक्ष एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश ठाकुर उपस्थित रहेंगे।

ASITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266 शाखा कार्यालय: शाखा कार्यालय: कमरा नं 401, चौथी मंजिल, कैमक स्क्वायर, 24, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता-700016

परिशिष्ट - IV-A
[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित। आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियां ['प्रतिभूति परिसंपत्ति(यां)'], जो कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड ('प्रतिभूति लेनदार') के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, दिनांक 14.11.2024 को जैसी है जहां है, जैसी है जो है और जो कुछ भी है के आधार पर रु. 10,34,73,106/- (दस करोड़ चौंतीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ छह रुपये) की वसूली हेतु बेची जाएंगी। 17.09.2024 को, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, उधारकर्ताओं से सुरक्षित लेनदार अर्थात **1. मेसर्स राहुल ट्रेडिंग कंपनी (उधारकर्ता), एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जिसका प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री नवनीत गुप्ता करते हैं 2. नवनीत गुप्ता (मालिक/बंधक/गारंटर) 3. लीना गुप्ता (गारंटर/बंधक), 4. चंदर गुप्ता (गारंटर/बंधक); 5. नीलम गुप्ता (गारंटर); 6. मेसर्स सी.जी. ट्रेडिंग कंपनी (गारंटर), एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जिसका प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री चंदर गुप्ता** करते हैं। गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य (नीचे अनुसूची में इसके बाद पूर्ण रूप से वर्णित) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: संपत्ति 1, कुमारी चौक, जी.ई. रोड, रायपुर 492001 में एक औद्योगिक **संपत्ति 7,21,19,004** रुपये; संपत्ति 2, जी.टी. लाइफ स्पेस, सेक्टर 30, खपरी-2, नया रायपुर की 8वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 802 की कीमत **50,22,774 रुपये** है; और संपत्ति 3, कोरल टॉवर, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, औरानिया, सेक्टर 53, गुरुग्राम, हरियाणा की 8वीं मंजिल पर अपार्टमेंट नंबर कोरल-802 की कीमत **3,25,36,912 रुपये** है। इन संपत्तियों के लिए कुल एकत्रित आरक्षित मूल्य 10,96,78,690 रुपये (दस करोड़ छियानबे लाख अट्ठहत्तर हजार छह सौ नब्बे रुपये मात्र) है। प्रत्येक संपत्ति के लिए बयाना राशि जमा (ईएमडी) इस प्रकार है: संपत्ति 1 के लिए **72,11,900.40 रुपये, संपत्ति 1:** 5,02277 संपत्ति 2 के लिए **32,53,691.20 रुपये।** इसलिए, संपत्ति 3 के लिए आवश्यक कुल ईएमडी 1,09,67,869 रुपये (केवल एक करोड़ नौ लाख सड़सठ हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये) है।

अनुसूची
(सुरक्षित संपत्तियों का विवरण)

संपत्ति 1 - ग्राम- कुम्हारी, प.ह. क्रमांक 46, राजस्व निरीक्षक मंडल अहिवारा, विकासखंड- धमधा, कांजी हाउस वार्ड क्रमांक 14, प्लॉट खसरा क्रमांक -1450/3- 4(0.50), 1450/3 और 1450/6(भाग) (0.206), 1450/3 भाग (0.208), आर.एन.एम-अहिवारा, तहसील- धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़- 491001 में स्थित जमीन का वह पूरा टुकड़ा, जो इस प्रकार से घिरा और घिरा है: उत्तर में: स्वयं की संपत्ति, दक्षिण में- स्वयं की संपत्ति, पूर्व में- स्वयं की संपत्ति, पश्चिम में- रेलवे की संपत्ति।

संपत्ति 1ए - ग्राम- कुम्हारी, प.ह. क्रमांक 46, राजस्व मंडल अही बारा, तहसील-धमधा, जिला- दुर्ग (छ.ग.), नगर पालिका कुम्हारी, खसरा क्रमांक 1448 क्षेत्रफल 0.129 हेक्टेयर यानि 0.32 एकड़ किराया 47, खसरा क्रमांक 1450/3 और 1450/4 क्षेत्रफल 0.371 हेक्टेयर यानि 0.91 एकड़ किराया 57 परी और खसरा क्रमांक 3 क्षेत्रफल 0.50 हेक्टेयर यानि 1.23 एकड़ किराया 72 जो कि लोक कार्यालय से लगभग 4 किमी., रेलवे स्टेशन से 1.5 किमी., बाजार से 0.5 किमी. और जी.ई. रोड से 0.15 किमी. की दूरी पर स्थित है। कपड़ा बाजार से हनुमान मंदिर 0.15 किमी. और इस प्रकार से जुड़ी और घिरी हुई है: **उत्तर में:** लक्ष्मण हिंदुजा की जमीन, **दक्षिण में**-रेलवे की जमीन, **पूर्व में**-मेसर्स बत्रा आयरन, **पश्चिम में**-मेसर्स बत्रा आयरन

संपत्ति 1बी - मौजा- कुम्हारी, पा.हा. नंबर 46, राजस्व निरीक्षक मंडल अही बारा, तहसील-धमधा, जिला- दुर्ग (छ.ग.) में स्थित जमीन का वह पूरा टुकड़ा, कब्जे और स्वामित्व वाली कृषि भूमि, प्रकृति- गांव से लगी असिंचित एकल फसली भूमि, खसरा नंबर 1450/3, रकबा- 0.208 हेक्टेयर यानी 0.52 डेसीमल किराया 0.50 रुपए जो मुख्य सड़क से लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूमि इस प्रकार से घिरी हुई है और इसकी सीमा इस प्रकार है: उत्तर में कच्ची सड़क और चंद्र गुप्ता की भूमि, दक्षिण में चंद्र गुप्ता के परिवार की भूमि, पूर्व में चंद्र गुप्ता के परिवार की भूमि, पश्चिम में माइनर सम्भाव की भूमि।

संपत्ति क्रमांक 2- संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल जो अपार्टमेंट है, ग्राम - नवागांव, पी.सी. क्रमांक 18, आरआईसी-मंदिर हसौद, नया रायपुर, तहसील-आरंग, जिला रायपुर सी.जी. में स्थित भूमि पार्सल डी 7, सेक्टर 30 नया रायपुर में निर्मित है, अपार्टमेंट क्रमांक 802, 4 बीएचके, ब्लॉक ए टॉवर- 1, मेफेयर की आठवीं मंजिल, कब्जे में क्षेत्रफल 2510 वर्ग फीट, कारपेट एरिया 1865 वर्ग फीट (श्री नवनीत गुप्ता के स्वामित्व में) इस प्रकार से जुड़ा और घिरा है: उत्तर में: खुली जगह से, दक्षिण में: खुली जगह से, पूर्व में: खुली जगह से, पश्चिम में: सीढ़ी केस लॉबी। खसरा क्रमांक 650/2, 651,652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 और 670 में सम्मिलित भूमि/सतह के सभी टुकड़ों में अविभाजित आनुपातिक हिस्सा शामिल करते हुए कुल 255388 वर्ग फीट, जो जी.टी. लाइफ स्पेस डी-7, सेक्टर-30, नया रायपुर (छ.ग.) द्वारा कवर किया गया है, निम्नानुसार जुड़ा और घिरा हुआ है: **उत्तर में:** प्लॉट क्रमांक डी-6, **दक्षिण में:** प्लॉट क्रमांक डी-8 और हरित क्षेत्र, **पूर्व में:** 9 मीटर चौड़ा स्पिल और हरित क्षेत्र, **पश्चिम में:** 24 मीटर चौड़ी सड़क।

संपत्ति संख्या 3 - आवासीय अपार्टमेंट जिसका नंबर कोरल-802 है, जिसका अनुमानित सुपर एरिया 192.8 वर्ग मीटर (यानी लगभग 2074 वर्ग फीट) है, जो ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बहुमंजिला टॉवर कोरल में 8वीं मंजिल पर स्थित है, जिसे 'ओरानिया' के नाम से जाना जाता है, जो वजीराबाद गांव, सेक्टर-53, तहसील और जिला गुरुग्राम (हरियाणा) की राजस्व संपदा में स्थित है, जिसमें एक कार पार्किंग स्थान नंबर-ए-7 के साथ-साथ उक्त भवन के नीचे की भूमि में अविभाजित आनुपातिक हित है, जिसमें उक्त अपार्टमेंट स्थित है, जिसकी गणना उक्त अपार्टमेंट के सुपर एरिया और उक्त भवन में सभी अपार्टमेंट/यूनिटों के कुल सुपर एरिया के अनुपात में की गई है, जिसका स्वामित्व श्रीमती लीना गुप्ता के पास है।

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के लिए
एसडी/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
ज्ञात भार: कोई नहीं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी https://mortgagefinance.adityabirlacapital.com/Pages/Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx या https://sarfaesi.auctiontiger.net पर दिए गए लिंक को देखें। सुरक्षित अचल संपत्ति पर पड़ी सभी चल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि 11.11.2024 होगी।

दिनांक :-26.10.2024
स्थान: कोलकाता
प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बीजापुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना निविदा

क्रमांक 32 / व.ले. लि. / लो स्वा यॉ खण्ड / 2024 बीजापुर. दिनांक 23.10.2024

षष्ठम निविदा आमत्रंण सूचना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित निर्माण कार्य के लिए आनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है-

क.	निविदा आमंत्रण क्र. / दिनांक	सिस्टम क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू.लाख में)	धरोवर राशि (रू.लाख में)	ठेकेदार की श्रेणी	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	32/ 23.10.2024	160480	DESIGN, DRAWING, CONSTRUCTION, TESTING & COMMISSIONING OF R.C.C. OVER HEAD TANK CAPACITY 400 K.L., STAGING 18 MTR. AT BLOCK BIJAPUR INCLUSIVE OF ALL CIVIL WORKS WITH TRAIL RUN FOR 3 MONTHS. UNDER BIJAPUR AUGUMENTATION WATER SUPPLY SCHEME NEAR NEW S.P. OFFICE – 6th call	52.61	39458/-	D	14.11.2024

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 25.10.2024 से डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता,
लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
बीजापुर

जी-242503432/4

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
रजि. कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के नियम 3 के साथ पढ़ें।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी है और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत डिमांड नोटिस पहले ही जारी कर चुका है।) अधिनियम में, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (सभी अकेले या एक साथ यहां 'सूचीबद्ध बाध्यकारी' कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान करने के लिए कहते हैं) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस/नोटिस में उल्लिखित राशि। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा भेजी जाती हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कहा गया है कि बाध्यकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, नोटिस इस प्रकार है एक बार फिर, उक्त दायित्वधारी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) को संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर टीसीएचएफएल को भुगतान करने के लिए, उनके संबंधित के सामने नीचे दर्शाई गई राशि दी गई है। नाम, कॉलम (डी) में नीचे उल्लिखित संबंधित तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक के विवरण के साथ आगे के ब्याज के साथ, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई हो, उक्त दायित्वकर्ता द्वारा निष्पादित (एस)। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त बाध्यकर्ता द्वारा टीसीएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता नं.	दायित्वधारी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	कुल बकाया नीचे दी गई तारीख तक बकाया (रुपये)	मांग सूचना की दिनांक एनपीए की दिनांक
TCHHFO 26000010 0168828	श्री मो. खैरुद्दीन अंसारी, श्रीमति बेगम जुलेख